फर्द अहकाम
(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

अश्विनी कुमार आदि बनाम साहबराम

राजस्व वाद सं. 186/2020

अन्तर्गत धारा:-88 आर.टी.ए.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14.08.2020 यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा धारा 88 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। सरिश्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 07.10.2020 को पेश हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवम् पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ।

21.08.2020 वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रतिवादी की और से श्री कैलास धामू अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादीगण एवम् प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ कर सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होनें से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ

सम्मन जारी 317/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.09.24 17:21:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner